4x5 sqcm

सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उ0प्र0कोआपरेटिव बैंक, 2–महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ के पेट्रोल/डीजल दो अम्बेसडर कारों (1) **यू0पी0–32, एआर–6960 पेट्रोल (2) यू0पी0–32, बीयू–6955 पेट्रोल** की जहॉ है जैसे है के आधार पर दिनॉक 03.05.2018 को उक्त कार्यालय परिसर में अपरान्ह् 1.00 बजे से सार्वजनिक नीलामी की जायेगी। धरोहर की धनराशि प्रति वाहन रू0 10,000.00नीलामी सम्बन्धित विस्तृत नियम एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र का प्रारूप उक्त कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर रू0 100.00 नकद पर प्राप्त किया जा सकेगा।समस्त जानकारी हमारी वेबसाइट www.upcbl.in **प्राप्त करें।**

प्रबन्ध निदेशक

संलग्नक–1

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0,

मुख्यालय–2, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ

वाहन–नीलामी में भाग लेने हेतु
आवेदन–पत्र

1. आवेदक का नाम : ....

2. आवेदक का पता –

(अ) वर्तमान पता :..

(ब) स्थायी पता :..

मोबाइल नं0 :..

(स) पते की पुष्टिमें साक्ष्य का विवरण :..

3. वाहन स्वामी का नाम : उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय–लखनऊ

4. वाहन की नीलामी हेतु –

(अ) विज्ञापन की तिथि :..

(ब) समाचार पत्र का नाम :..

5. नीलामी योग्य वाहन एवं देय धरोहर की धनराशि का विवरण :–

क0सं0	वाहन का प्रकार	वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	नीलामी हेतु निर्धारित लाट सं0	देय धरोहर की धनराशि
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
	योग–			

6. आवेदक की तरफ से नीलामी में भाग लेने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण –

(अ) नाम : ....

(ब) स्थिति/पद :..

(स) पता : 1–वर्तमान :..

मोबाइल नं0 :..

2–स्थायी :..

:..

7. धरोहर की धनराशि जमा करने का विवरण–

1. धनराशि अंकों में रू0 ....

शब्दों में रू0 ....

2. जमा करने का ढंग(नकद / बैंक ड्राफ्ट)..
बैंक ड्राफ्ट सं0 ....
जारीकर्ता बैंक शाखा का नाम ....
बैंक शाखा का नाम, जिस पर ड्राट जारी है / देय है..

मै / हम यह घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मुझे / हमें उक्त दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में प्राप्त उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ के उक्त वाहन नीलामी से सम्बन्धित सभी नियम एवं शर्तें (Terms and Conditions) स्वीकार हैं।

आवेदक का–

संलग्नक –

1. बैंक ड्राफ्ट यदि धरोहर की धनराशि ड्राफ्ट द्वारा जमा की गई है।
2. आवासीय पते की पुष्टि में साक्ष्य की छाया प्रतिलिपि।

हस्ताक्षर................................
नाम...
दिनॉक ....

संलग्नक–2

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0,

मुख्यालय, सामान्य अनुभाग, पंचम तल, सहकारी किसान भवन

2–महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

वाहन–नीलामी में भाग लेने हेतु
धरोहर धनराशि की प्राप्ति

रसीद संख्या................../वाहन नीलामी/2014–15   दिनॉक.......................

श्री/श्रीमती/मेसर्स...
निवासी..से..
समाचार पत्र के दैनिक अंक दिनॉक............................ में विज्ञापन प्रकाशन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ के नीलाम योग्य वाहन लाट संख्या कमशः.. ....के अन्तर्गत वाहन संख्या कमशः.. .... की दिनॉक...को प्रस्तावित सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने हेतु प्रति वाहन रू0..................................की दर से कुल रू0... (शब्दों में रू0..) धरोहर की धनराशि नगद/बैंक ड्राफ्ट संख्या.. दिनॉक................रू0.................................... जो.............................. ....बैंक शाखा द्वारा ....बैंक शाखा पर जारी है, प्राप्त किया और इन्हें वाहन नीलामी पंजीकरण संख्या.......................... आवंटित किया।

प्राप्तकर्ता–

(1)	(2)
हस्ताक्षर..................................... नाम... पद.. उ0प्र0कोआपरेटिव बैंक लि0, सामान्य अनुभाग, मुख्यालय–लखनऊ	हस्ताक्षर..................................... नाम... पद.. उ0प्र0कोआपरेटिव बैंक लि0, सामान्य अनुभाग, मुख्यालय–लखनऊ

धरोहर की धनराशि वापस प्राप्त करने की रसीद

संलग्नक–3

स्थानः लखनऊ

दिनॉक..................

मैंने/हमने...निवासी...

.... उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ के नीलामी योग्य वाहन लाट संख्या कमश :.. के अन्तर्गत वाहन संख्या कमशः.......... .... की दिनॉक...................... को उक्त बैंक के मुख्यालय परिसर में सार्वजनिक नीलामी में भाग लिया और नीलामी की बोली में असफल होने की स्थिति में मैंने/हमने उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ सामान्य अनुभाग, मुख्यालय के अधिकृत अधिकारी श्री .... पद.. .... से पूर्व जमा धरोहर की धनराशि रू0 .... नगद/बैंक ड्राफ्ट संख्या...दिनॉक... रू0....................... ....जारीकर्ता बैंक शाखा.. आहर्ता बैंक शाखा............. .... द्वारा वापिस प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता–

हस्ताक्षर...

नाम..

पता..

....

संलग्नक–4

वाहन–नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें

(Terms and condition)

1. बैंक के निष्प्रयोज्य 02 वाहनों की नीलामी जहॉ है, जैसे है के आधार पर अलग–अलग दो लाटों में की जायेगी।

कम सं0	वाहन रजिस्ट्रेशन नं0	वाहन का प्रकार एवंवजन (टन में)	निर्माता कम्पनी	कय तिथि/ माडल	ईंधन	तय की गई दूरी (कि0मी0 में)	वाहन का कय मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
01	यू0पी0–32,एआर–6960	कार 1.10	हिन्दुस्तान मोटर्स	28.10.2002	पेट्रोल	5 लाख	4,19,50.00
02	यू0पी0–32,बीयू –6955	कार 1.10	हिन्दुस्तान मोटर्स	10.07.2006	पेट्रोल	4.76 लाख	4,39,000.00

2. नीलामी में बोली बोलने हेतु इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा उक्त वाहनों का उक्त कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह् 10.30 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे के मध्य निरीक्षण किया जा सकता है।

3. नीलामी कमेटी द्वारा उक्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी 2, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, के मुख्यालय परिसर में स्थित उक्त बैंक की मुख्य शाखा, लखनऊ के ऊपर स्थित सभाकक्ष में समाचार पत्र में विज्ञापित तिथि को अपरान्ह 1. 00 बजे से की जायेगी। अपरिहार्य कारणों से नीलामी की तिथि, समय एवं स्थान में परिवर्तन किया जा सकेगा अथवा नीलामी की कार्यवाही निरस्त की जा सकेगी।

4. एक बोलीदाता द्वारा लाटवार एक से अधिक वाहनों की नीलामी में भाग लिया जा सकता है।

5. बोलीदाता द्वारा नीलामी में भाग लेने हेतु उपरोक्त कार्यालय से प्रत्येक वाहन हेतु रू0 **100.00** नकद शुल्क देकर आवेदन पत्र का प्रारूप तथा नीलामी की नियम एवं शर्तें प्राप्त की जायेगी और उसे भरकर **धरोहर के रूप में** प्रति वाहन रू0 **10,000.00** नकद अथवा उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ के पक्ष में लखनऊ पर देय बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ उपरोक्त कार्यालय में नीलामी समय से एक घंटा पूर्व प्रस्तुत कर 12.00 बजे तक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उक्त धरोहर की धनराशि नीलामी समाप्त होने के पश्चात् स्वीकृत उच्चतम बोली के अतिरिक्त अन्य असफल बोलीदाता को तुरन्त वापिस योग्य होगी।

6. नीलामी में भाग लेने हेतु पंजीकृत व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति/अधिकारी को बोली लगाने हेतु पंजीकृत व्यक्ति का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7.नीलामी में उपस्थित प्रत्येक बोलीदाता अपनी बोली से बाध्य होगा भले ही वह ऊँची हो या नहीं।

8. संदिग्ध व्यक्ति को नीलामी कमेटी द्वारा नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

9.वाहनों की नीलामी हेतु न्यूनतम बोली उनके लिखित पुस्तकीय वैल्यू एवं विभागीय वाहन निरीक्षण वैल्यू दोनों में से जो अधिक है उसी को न्यूनतम बोली आरक्षित स्वीकार होगी है। यदि किसी बोलीकर्ता द्वारा दोनो वाहनों हेतु संयुक्त रूप से बोली लगायी जाती है और निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक होती है तो उस पर कमेटी द्वारा विचार किया जा सकता है। आवेदन पत्र (संलग्नक–1) धरोहर की धनराशि प्राप्त करने की रसीद(संलग्नक–2), आवेदकों का पंजीकरण रजिस्टर तथा असफल बोलीदाताओं की धरोहर की धनराशि वापस करने की रसीद(संलग्नक–3)।

10. नीलामी कमेटी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने की स्थिति में उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली की नियत धनराशि का **न्यूनतम 25 प्रतिशत अग्रिम जिसमें संबंधित लाट के अन्तर्गत चिन्हित कार के लिये जमा धरोहर की धनराशि को समायोजित किया जायेगा,** तुरन्त नीलामी कमेटी के समक्ष नकद अथवा "उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ" के पक्ष में लखनऊ पर देय बैंक ड्राफ्ट/माइकर चेक द्वारा जमा करके रसीद प्राप्त की जायेगी। अग्रिम धनराशि जमा करने में असमर्थ होने पर बोली तुरन्त निरस्त करके धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

11. नीलामी कमेटी द्वारा स्वीकृत उच्चतम बोली पर बैंक के सक्षम प्राधिकारी से अन्तिम रूप से संतुष्टि एवं अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही उच्चतम बोलीदाता को स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा। **स्वीकृति पत्र** प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर बोली की कुल धनराशि से अग्रिम धनराशि के समायोजन के पश्चात् अवशेष धनराशि में नीलामी द्वारा विक्रय के लिये देय वाणिज्य कर इत्यादि की धनराशि सम्मिलित कर **देय कुल अवशेष धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो वाहन स्वामी द्वारा "उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ" के पक्ष में लखनऊ पर देय होगा,** बैंक मुख्यालय में नीलामी कमेटी के सदस्य–संयोजक/उप महाप्रबन्धक(सामान्य) को प्रस्तुत किया जायेगा। चूक करने पर अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी। स्वीकृत उच्चतम बोली पर सक्षम प्राधिकारी के कदाचित संतुष्ट न होने की स्थिति में उच्चतम बोलीदाता को अग्रिम धनराशि वापस कर दी जायेगी।

12. नीलामी कमेटी द्वारा शर्त सं0–11 के अन्तर्गत नीलामी की देय अवशेष धनराशि प्राप्त करने के बाद स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को वाहन हस्तान्तरण हेतु पत्र जारी किया जायेगा और उक्त पत्र प्राप्त करने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता द्वारा नीलाम वाहन को अपने व्यय पर बैंक परिसर से हटाना होगा अन्यथा की स्थिति में वाहन में किसी प्रकार की क्षति के लिये नीलाम कर्ता बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

13. नीलामी स्थान पर किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र के साथ प्रवेश वर्जित होगा।

14. नीलामी में किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में उसका निस्तारण लखनऊ के सक्षम न्यायालय में होगा।